



भारत सरकार

पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पर्यावरण तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326695, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimofr@rediffmail.com

पत्र सं० ४३ी/यू.पी./०४/१७२/२०१३/एफ.सी./५३।

दिनांक: २४.०९.२०१८

सेवा में

नोडल अधिकारी एवं मुख्य बन संरक्षक,  
बन उपयोग वृत्ति, अरण्य भवन,  
१७ राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

**विषय :** शामली में 400 के० वी० देहरादून-बागपत विद्युत लाईन के निर्माण हेतु ०.०५०६ हेतु संरक्षित बनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ०५ बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति।

**सन्दर्भ :** मुख्य बन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-२३७/११सी-शामली-८, दिनांक-३१.०७.२०१८.

**महोदय,**

उपरोक्त विषय पर मुख्य बन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-१०९३/११सी-शामली-७३, लखनऊ, दिनांक-२९.११.२०१३ का आशय ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा राज्य सरकार में विधायिका प्रस्ताव पर बन लखनऊ, अधिनियम, १९८० की धारा-२ के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रस्ताव प्रकरण में इस कार्यालय के समर्थक पत्र दिनांक-०३.०३.२०१४ द्वारा प्रकरण में सीधान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य बन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर विद्युतोपरान्त शुद्ध आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार शामली में 400 के० वी० देहरादून-बागपत विद्युत लाईन के निर्माण हेतु ०.०५०६ हेतु संरक्षित बनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ०५ बाधक वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है-

१. बन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

२. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर बन विभाग द्वारा १०० वृक्षों का वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। यह वृक्षारोपण विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

३. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर बन विभाग द्वारा पारेषण लाईन के नीचे प्रस्तावित बन भूमि में बीने पौधों (मुख्यतः औपधीय पौधे) के रोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के ०१ वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

४. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

५. पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।

६. पारेषण लाईन के लिए राइट आफ वे (right of way) की चौड़ाई ४८ मीटर तक सीमित रहेगी।


७. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार बन विभाग की देख-रेख में किया जायगा।

८. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दीरान आस-पास के क्षेत्र की बनस्पतियों एवं जीव-जन्मुओं को किसी प्रक्रिया की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

९. प्रस्तावित बनभूमि के अतिरिक्त आस पास की बनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दीरान मिट्टी/पत्थर काटने या कार्य नहीं किया जाएगा।

- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किचेसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास भजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्याय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी०जी०पी०ए०स० निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
- प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त बारने का अधिकार सुरक्षित है।

मवदीय,



(के० के० तिवारी  
वन संरक्षक (के०)

### प्रतिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- अति० वन महानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, दिल्ली-110003. श्रुत्स मन्त्रिम्, वायु भवन ३०२०५५८, नेहरू अभियान, १२ राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- नेहरू अभियान, एवं मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, १२ राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
- प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली, उत्तर प्रदेश।
- श्री एस०एस०तोमर, मुख्य प्रबन्धक (निर्माण), 400 / 200 के०वी० सबस्टेशन पावरग्रिड कार्पॉरेशन इंडिया, मोहन गाँव स्ट-जंधेड़ा, दिल्ली रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
- आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी  
वन संरक्षक

